न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कन्हैयालाल बनाम ग्राम पंचायत डिडवाना** **किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थगन** **प्रकरण सं. – 33/2016**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.06.2018	अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की स्थगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल निगरानी उनवानी कन्हैयालाल पुत्र छोटेलाल जाति महावर निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट बनाम ग्राम पंचायत डिडवाना वगैरा निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 01.04.2016 बाबत पट्टा सं. 41 बहक कन्हैयालाल पुत्र छोटेलाल जाति महावर निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड तलब किये जाने हेतु नियत है। अतः प्रकरण में दिनांक 07.04.2016 को जारी स्थगन आदेश को मूल निगरानी के निर्णय होने तक प्रभावी रखा जावे। अधिवक्ता गैरनिगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया की स्थगन आदेश को निगरानी के निर्णय होने तक प्रभावी रखे जाने का कोई औचित्य नही है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्थगन एवं मूल निगरानी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत डिडवाना पंचायत समिति द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.04.2016 की पालना आगामी पेशी तारीख तक स्थगित रखे जाने हेतु दिनांक 07.04.2016 को जारी स्थगन आदेश मूल निगरानी प्रकरण के निर्णित होने तक प्रभावी रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार लालसोट एवं सचिव ग्राम पंचायत डिडवाना को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थगन से सम्बन्धित पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल निगरानी पत्रावली के सलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति० जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official